रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230729
CG-DL-E-26102021-230729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4111] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
No. 4111] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

## मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

## (मत्स्यपालन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

**का.आ. 4466(अ).**—सेवाओं या फायदा या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है), भारत सरकार **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना (जिन्हें इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है। यह स्कीम संबंधित विभाग द्वारा देश के राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में लागू की जाती है।

और स्कीम के अधीन, वित्तीय सब्सिडी(जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के विभिन्न घटकों और उप-घटकों के अन्तर्गत मछुआरों, मछली किसानों, मछली कामगारों, मछली विक्रेताओं, प्रत्येक उद्यमियों (जिसमें इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है ) को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

और स्कीम में भारत की संचित निधि उपगत से होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थातः-

(1) यदि कोई व्यक्ति स्कीम के अन्तर्गत फायदा प्राप्त करने का इच्छुक है तो एतद्द्वारा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आधार संख्या या चालू आधार प्रमाणन का सबूत प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (केंद्र की सूची यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, फायदाग्राहियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन अभिकरण रजिस्ट्रारों के सहयोग से या स्वतः रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगाः

परंतु स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थातः-

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसके पास आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची होः और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थात्:-

i. फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या

ii. मतदाता पहचान पत्र; या

iii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

iv. पासपोर्ट; या

v. मोटर वाहन अधिनियम; 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञति; या

vi. राशन कार्ड; या

vii. किसान क्रेडिट कार्ड; या

viii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) जॉब कार्ड; या

ix. किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के आधिकारिक शीर्षपत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाणपत्र; या

x. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेज को इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिससे स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षाओं के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग, आईरिस स्कैनर्स या चेहरा

अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके:

(ख) अंगुलीछाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आई.आर.आई. एस. या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में जहाँ कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां अंगुलीछाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम वासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं को भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा:

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी फायदाग्राही अपने देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं है, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी 26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in) में विनिर्दिष्ट अपवाद संचालन क्रियाविधि का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. जे-117012/25/2020-मा.]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Fisheries)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2021

**S.O. 4466(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (*hereinafter referred to as the Department*) in the Government of India is administering a Centrally Sponsored Scheme of **Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana** (*hereinafter referred to as the Scheme*) which is implemented by the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations across the country;

And whereas, under the scheme, financial subsidy (*hereinafter referred to as the benefits*), is given *inter-alia*, to the fishers, fish farmers, fish workers, fish vendors, and individual entrepreneurs (*hereinafter together referred to as the beneficiaries*), towards central assistance under different components & sub-components of the scheme as per the extant scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of Indiawebsite www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations, which is responsible for implementation of the Scheme, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the implementing agency shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars or by becoming Registrar itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he/she has enrolled, his/her Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or

(ii) Voter Identification Card; or

(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iv) Passport; or

(v) Driving License issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Credit Card; or

(viii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) Job Card; or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department in the State Governments and Union Territory

Administrations shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefit in seamless manner.

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar one-time password or time-based one time password with limited time validity, as the case may be, shall be offered.

(c) in all other cases where biometric or one time password or time-basedone-time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations.

4. In order to ensure that no bona-fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territory Administrations.

[F.No. J-117012/25/2020-Fy]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.26 21:48:22 +05'30'